

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर




कार्यालय आदेश संख्या - 365/NG/2020/power/SPJ

श्री ऋषिकेश शर्मा, पुत्र-श्री जोखू शर्मा, लोको पायलट (शंटर) जबलपुर मंडल, पश्चिम सेन्टल रेलवे, वेतनमान- 5200-20200+2400, (लेवल- 4), पदावगत पद सहायक लोको पायलट, वेतनमान - 5200-20200+1900, (लेवल- 2), जबलपुर मंडल, पश्चिम सेन्टल रेलवे जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण महाप्रबंधक (कार्मिक)/ जबलपुर, पश्चिम सेन्टल रेलवे का पत्र संख्या- WCR /P-HQ/222/ 06/ALP-OR. Dated-17.12.2013 एवं मुख्यालय हाजीपुर का पत्र सं- ECR /HRD /Mech/283/IRT /ALP/FEB-14 दिनांक 27.02.2014 के द्वारा स्वीकृत हैं तथा मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/जबलपुर मंडल, पश्चिम सेन्टल रेलवे का पत्र संख्या-JBP/P / IRORT /L.R /LPS/RS Dated- 06.07.2020 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 07.07.2020 को रिपोर्ट किये हैं, को सहायक लोको पायलट वेतनमान (5200- 20200+1900) लेवल-2 के पद पर Combine crew lobby Nrakatiagang under CCC/NKE के अधीन पदस्थापित किया जाता है। इनके इस कार्यालय में रिपोर्ट करने की तिथि 07.07.2020, को प्रतिक्षारत अवधि दिनांक-08.07.2020 से 21.07.2020 तक एल0ए0पी0 एवम् 22.07.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को पदस्थापना हेतु प्रतिक्षारत अवधि मानी जाएगी ।

उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर हैं, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है ।

उपरोक्त मयार्ड(पावर)/समस्तीपुर द्वारा आदेशित हैं ।

श्री ऋषिकेश शर्मा का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल / समस्तीपुर
स0-का/विधि/ALP/IR-ID/Transfer/2020

(चन्द्र किशोर)

सकाधि-II
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

दिनांक 24.07.2020

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/जबलपुर मंडल, पश्चिम सेन्टल रेलवे (पिन कोड-482001), -कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिज्ञानोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजे।
2. मयार्ड(पावर)/समस्तीपुर
3. वमविप्र./समस्तीपुर
4. CCC/NKE कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे
5. मुकार्याधी/यांत्रिक संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
6. मुकार्याधी/विधि विल-कार्यालय में।
7. मुकार्याधी/ अनुश्रवण प्रकोष्ठ।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो/सग0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी - आप CCC/NKE के यहाँ रिपोर्ट करें।
10. अभिलेख हेतु।

सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल / समस्तीपुर